न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 69 / 2018

1 श्रीमती शान्ति देवी आयु 60 वर्ष पुत्री रामकुमार बिजारणियां पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी खेड़ी मोहल्ला बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 गिरधारीलाल पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी खेड़ी मोहल्ला बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू।
3 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी श्रीमती शान्ति बनाम गिरधारीलाल मुकदमा नम्बर 69 / 2007 दावा बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक:–27.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 69/2007 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 771 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772/2212 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 767 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 768 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 767/2210 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 768/2211 रकबा 0.10 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम बगड़ तहसील झुंझुनू में स्थित है। उक्त जमीन में से 10 बीघा पुख्ता जमीन की खातेदारी काश्तकार के लिये अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा एंव रिकार्ड दुरूस्ती पेश किया। उक्त वाद पत्र को अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये तथा अपीलांट को बिना सुने दिनांक 30.04.2018 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में हमारा धारा 88,136 का दावा था विचारण न्यायालय ने विधि द्वारा वर्जित मानकर पोषणीय नही होने का अंकन कर बिना किसी विवेचन के हमारा दावा खारिज कर दिया। वादी की कोई साक्ष्य प्राप्त नही किये दिनांक 30.04.2018 की आदेशिका ही नही लिखी गई है। विधिक प्रकिया की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है। आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित नही किया गया है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 946 संवत 2012 में अकेले रामकुमार के नाम था। पिता की मृत्यु संवत 2012 के पूर्व ही हो चुकी थी रेस्पोडेंट संख्या 1 पिता की मृत्यु के तीन माह बाद पैदा हुआ अत अंकन अकेले रामकुमार के नाम आया। नामान्तकरण संख्या 324 द्वारा 2016 में दोनों की सहमती से अलग–अलग जमीनों का विभाजन हो गया खाता विभाजन बाबत अनुबन्ध पर शांति देवी के हस्ताक्षर है अत इससे इनकार नही कर सकते है। अनुबन्ध की पालना में नामान्तकरण तस्दीक हो गये। अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को मुगालते में रखकर दावा पेश किया था। न्यायालय धारा 151 की शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम है, विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने समर्थन में डी. एन.जे. 2017(1) पेज 01, डी.एन.जे. 2010(1) पेज 344, आर.एल.डब्ल्यू 2006(2) पेज 940, डी.एन.जे. 2015(3) पेज 965, आर.आर.टी. 2011–12 पेज 667 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में धारा 88,136 का दावा था विचारण न्यायालय ने विधि द्वारा वर्जित मानकर पोषणीय नही होने का अंकन कर बिना किसी विवेचन के दावा खारिज किया है। वादी की कोई साक्ष्य प्राप्त नही की है एवं दिनांक 30.04.2018 की आदेशिका भी नही लिखी गई है। विधिक प्रकिया की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है। आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के विपरित होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अपनाकर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि

सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर